धारा 108 : पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां

(1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसे प्राप्त सूचना के आधार पर या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, और यदि वह यह समझता है कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित कोई विनिश्चय या आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध हैं या नहीं या वह भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए संप्रेक्षण के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण है, तो वह, यदि आवश्यक हो तो, ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे, जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि–

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय का अवसान हो गया है; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया गया है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा, जो उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अपील में उठाया नहीं गया है या विनिश्चत नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है, जिस पर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, तो अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि को वहां उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित

किया जाएगा, जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, वहां ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि को परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,–

(i) ''अभिलेख'' में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित उपलब्ध सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;

(ii) ''विनिश्चय'' में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई संसूचना सम्मिलित होगी।

उपयुक्त नियमः

नियम 109ख

उपयुक्त प्रारूपः

प्रारूप जीएसटी आरवीएन–01,

प्रारूप जीएसटी एपीएल–04